विलय पर बैंकिंग

इंडियन एक्सप्रेस, **19-09-17**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

अगस्त के तीसरे हफ्ते में सरकार ने सरकारी बैंकों के विलय के लिए प्रस्तावों की देख-रेख के लिए एक नए रूपरेखा की घोषणा की थी। एकत्रीकरण के उद्देश्य से यह पहल अब आगे बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बैंकों को विलय करने और बोर्ड के स्तर पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए लिखा है, जो अत्यावश्यकता की भावना को दर्शाती है।

सरकार के स्वामित्व वाले करीब तीन दर्जन बैंकों के बहुसंख्यक बैलेंस शीटों के साथ ऐसा करना पड़ सकता है, जिनमें से कम से कम आधा दर्जन प्रोम्प्ट सुधार कार्य या बैंकिंग नियामक द्वारा शुरू की गई पीसीआर के अंतर्गत हैं, जिसका अर्थ है कि उधार पर गंभीर प्रतिबंध। कुछ महीनों पहले रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि मार्च, 2017 के आखिर में कुल परिसंपत्तियों के 9.6 प्रतिशत बैड ऋणों में यदि सुधार नहीं किया गया और कुल वित्तीय वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कुल ऋण का 10.2 प्रतिशत तक हो सकता है।

पीएसयू बैंकों की स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से बहुत खराब है। स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2018 तक सकल खराब ऋण अनुपात 14 प्रतिशत और उच्चतम आर्थिक परिदृश्य में कई बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्तर 9 प्रतिशत से नीचे गिर सकता है।

जाहिर है, अगले दो सालों में पूंजी अपेक्षाओं की तुलना में काफी कम होगा और मार्च 2019 तक पूंजी पर्याप्तता पर विश्व स्तर पर अनिवार्य मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि समेकन के लिए प्रस्ताव अब नरसिम्हम समिति द्वारा 1991-92 के शुरू होने के बाद तौला जा रहा है, जिसने वैश्विक मौजूदगी के साथ, आठ या 10 राष्ट्रीय बैंकों और कई स्थानीय या क्षेत्रीय बैंकों के साथ तीन बड़े बैंकों का सुझाव दिया था।

एक मजबूत दृष्टिकोण यह है कि इस तरह के विलय को स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मजबूत ऋणदाता के साथ कमजोर बैंक विलय को शामिल करने के बजाय मजबूत संस्थाओं के बीच होना चाहिए। यही कारण है कि समेकन में कोई भी प्रयास बैंक प्रबंधन की ओर से समय और प्रयास की मांग करेगा।

इस तरह का एक प्रयास तभी निश्चित रूप से सार्थक है जब व्यापक उद्देश्य के साथ शासन के मानदंडों में सुधार किया जाये और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां सरकारी बैंकों, जैसे उनके निजी साथियों, सरकारी संसाधनों को आवंटित करने की बजाय सार्वजनिक बाजार से पूंजी जुटा सके। चिंता का विषय यह है कि विलय के मौजूदा प्रयास, भले ही स्वैच्छिक हो, लेकिन बैड लोन की लेन-देन गड़बड़ी को हल करने के अपने मुख्य कार्य से बैंकरों को ध्यान भंग करने के जोखिमो को कायम रखता है। विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या ये समेकन इन बैंकों को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक को भी संबोधित कर पायेगा?

बैंकों के विलय से लाभ

- विलय के पश्चात इन विशाल बैंकों की पूंजी दक्षता और परिसंपत्ति में वृद्धि होगी और बैंक की कोष लागत और परिचालन लागत घटेगी।
- बैंकों की पूंजी दक्षता वृद्धि का सीधा लाभ देश के सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत ढाँचे में निवेश के रूप में देखने को मिलेगा।
- पूंजी दक्षता में होने वाली वृद्धि से वर्तमान समय में बैंकिंग तंत्र की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPA) की सबसे बड़ी समस्या को कुछ सीमा तक सुलझाया जा सकेगा।
- विलय के पश्चात बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर अग्रसर होकर आधुनिकीकरण एवं नवाचार पर ज्यादा जोर देंगे। इसके साथ ही बैंक अपनी सेवाओं के भौगोलिक विस्तार पर अधिकाधिक ध्यान देंगे।
- पूंजी उपलब्धता अधिक होने से बैंक अपने तकनीकी उन्नयन पर अधिक निवेश कर सकेंगे और निवेश के अनुपात में ही उनकी परिचालन लागत में कमी आएगी।

विलय के समक्ष चुनौतियाँ

- यह निश्चित नहीं है कि विशाल बैंक अच्छे बैंक भी साबित हों। यदि विशाल बैंक भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचेगी।
- NPA व पूंजी अपर्याप्तता के कारण निर्मित अस्थिर माहौल में बैंकों के विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है।
- देश में कुछ बड़े बैंकों को छोड़कर ज्यादातर बैंक किसी क्षेत्र विशेष में अपना विस्तार किये हुए हैं। वे बैंक ही उस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझते हैं। विलय के पश्चात इन बैंकों की क्षेत्रीय विशेषज्ञता का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा।
- विलय के परिणाम स्वरुप खराब प्रदर्शन कर रहे बैंकों की खामियों का भार अच्छा प्रदर्शन कर रहे बैंकों को उठाना पड़ेगा।
- विलय के कारण बैंक कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, सेवानिवृत्ति व पेंशन आदि से संबंधित कार्मिक विवादों के उभरने की संभावना है।

एकीकरण के बाद की संभावित स्थिति

- राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों की विभिन्न यूनियनों का संयुक्त मंच ''यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस'' बैंकों के विलय एवं एकीकरण का लगातार विरोध करता रहा है और इसे मुद्दा बनाकर समय-समय पर हड़ताल का आह्वान भी करता है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकीकृत कर एक बड़ा बैंक बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों में तकनीक, उत्पाद, नीतियाँ आदि लगभग एक जैसी थीं तथा उनकी कार्यप्रणाली में समानता व एकरूपता थी। इसलिये उनके विलय में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में ऐसा नहीं है।
- किसी भी प्रकार के विलय के बाद मानव संसाधन स्तर पर असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बराबर बनी रहती है।
- भिन्न कार्य परिस्थितियों के अभ्यस्त हो चुके कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही तरीके से कार्य करने में प्रचालनगत समस्याएँ आने की आशंका रहती है।
- इसके अलावा सूचना व प्रौद्योगिकी, वेतन व भत्ते, प्रणाली आदि का एकीकरण करना भी आसान नहीं होता।
- एकीकरण के बाद भी यदि बैंकों की सेहत नहीं सुधारी तो इनके 'निजीकरण' पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि विलय के बाद 'बीच की कोई स्थिति' बचती नहीं है।

बैंक्स बोर्ड ब्यूरो' ?

- फरवरी 2016 में सरकार ने 'बैंक्स बोर्ड ब्यूरो' का गठन किया और उसे सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिये उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दी गई।
- बाद में सरकार ने बैंकों के लिये पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावा व्यावसायिक रणनीति तैयार करने का दायित्व भी 'बैंक्स बोर्ड ब्यूरो' को सौंप दिया। पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक विनोद राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।

'बैंक्स बोर्ड ब्यूरो' से संबंधित समस्याएँ

- 'बैंक्स बोर्ड ब्यूरो' पी. जे. नायक समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का आधा-अधूरा कदम था। नायक समिति की मुख्य अनुशंसा यह थी एक ऐसी होल्डिंग कंपनी को आगे लाया जाए जो बैंकों के रोजमर्रा के प्रशासन और नियमन में सरकार की भूमिका कम कर सके।
- इस दिशा में पहले कदम के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का सुझाव आया, लेकिन जब ब्यूरो का गठन हुआ तो उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया।
- नायक समिति ने सुझाव दिया था कि इसे बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ समेत सभी वरिष्ठ नियुक्तियों की निगरानी करनी चाहिये, लेकिन इसे इस कदर सीमित कर दिया गया कि यह केवल सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के नाम सुझाने के ही काम आ सका।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016

- दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code & IBC)-2016 के प्रावधानों के अंतर्गत डिफाल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी निर्देश के लिये आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिये बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2017 लागू किया गया है।
- यह अध्यादेश बाध्य होकर बेची जाने वाली परिसंपत्तियों के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को देता है।
- रिजर्व बैंक को विवशतावश बेची जाने वाली परिसंपत्तियों के बारे में बैंकिंग कंपनियों को सलाह के लिये बैंक की स्वीकृति के साथ समिति की नियुक्ति का निर्देश देने का अधिकार भी दिया गया है।
- रिजर्व बैंक की आंतरिक निगरानी समिति (Internal Advisory Committee & IAC) का गठन किया गया है। इस समिति में पाँच सदस्य हैं।
- आईएसी को 500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मामलों को सुलझाने के लिये समीक्षा का अधिकार है।
- आईएसी ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाले कोष और गैर-कोषीय खातों की आईबीसी समीक्षा का सुझाव दिया है।
- आईएसी ने सिफारिश की है कि बैंक छह महीने के अंदर इनके समाधान को अंतिम रूप दें।

संभावित प्रश्न

गैर-निष्पादित परिसम्पतियों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए बैंकों का समेकन आवश्यक है। परन्तु निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं में निवेश तथा सरकार द्वारा भुगतान के मध्य एक बड़ा गैप NPA का प्रमुख कारण भी है। इस कथन के सन्दर्भ में तर्कसंगत सुझाव दें।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World